



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

आयोग भवन, हरिद्वार- 249404

Website-www.ukpsc.gov.in

दूरभाष नं०-01334-244143

विज्ञापन संख्या:: A-1/E-1/DR/2020-21

उत्तराखण्ड सचिवालय / उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, समीक्षा अधिकारी (लेखा) / सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) परीक्षा-2021

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	::	05 मार्च, 2021
ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि	::	25 मार्च, 2021 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क -Net Banking/Debit Card/Credit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	::	25 मार्च, 2021 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

(1) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाईन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोगमें मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरनेकी अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

(2) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(3) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि, दिनांक 25 मार्च, 2021 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।

अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह तिथि मानी जाएगी जो अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाईन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में, Result Declaration Dateके कॉलम में, सम्बन्धित शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date)का अंकन हो।

विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।

(4) ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र इत्यादि की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाईन आवेदन पत्र एवं Net Banking/Debit Card/Credit Cardके माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(6) आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अर्थात् परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी चाहें तो आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर, आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा अर्थात् अभ्यर्थी को संशोधित आवेदन पत्र हेतु पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

(7) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि व नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "Online Application" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने एवं नियत समय तक Net Banking/Debit Card/Credit Cardके माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने पर ही "Online Application" प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। आवेदन शुल्क जमा न करने की स्थिति में प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(8) आवेदन के इस चरण में ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण-पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंटआउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

(9) विज्ञापित पद पर चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिए मुख्य/लिखित परीक्षा (परम्परागत प्रकार) की प्रक्रिया अपनायी जाएगी परन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में विज्ञापन के “**परिशिष्ट-1**” में उल्लिखित नगरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन किया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा में सफल एवं अर्ह अभ्यर्थियों की मुख्य/लिखित परीक्षा का आयोजन एवं कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा/कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की अर्हकारी परीक्षा का आयोजन, परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में स्थित परीक्षा केन्द्र पर किया जायेगा।

(10) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा से पूर्व ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट प्रति के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर विहित समय सीमा के अन्दर आयोग कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञापित आयोग की वेबसाइट व दैनिक समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

(11) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2019 जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, का अवलोकन अवश्य करें। मुख्य परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियोंसे प्राप्त आवेदन पत्रों/अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2019 में उल्लिखित प्राविधानानुसार सम्पादित की जाएगी। ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।

(12) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क पृथक से आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा न करने अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट प्रति के साथ समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा न करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(13) प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाईन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञापित राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।

(14) फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर पृथक से कुछ भी लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

(15) अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के आयोजन हेतु नगरों की सूची के लिए **परिशिष्ट-1** तथा प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए **परिशिष्ट-2**, आरक्षण से संबंधित प्रमाणपत्रों के प्रारूप हेतु **परिशिष्ट-3**, श्रुतलेखक चाहने विषयक प्रपत्र के प्रारूप हेतु **परिशिष्ट-4** का अवश्य अवलोकन करें।

(16) मुख्य/लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के **परिशिष्ट-5** पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को संबंधित **श्रेणी/उपश्रेणी** के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

(17) शासनादेश संख्या : 232/XXX(2)/2018-30(05)/2014, दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड सचिवालय/ उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी (लेखा)/सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) पद हेतु चिहिनत श्रेणी PB, PD, OA, OL, BL, Cerebral Palsy, Cured Leprosy, Acid attack Survivor, Dwarfism, Muscular dystrophy, Multiple disability (PD-PB, Thalassaemia, Haemophilia) श्रेणी की निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थी भी अनारक्षित पद के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं, भले ही उनके लिए कोई रिक्ति आरक्षित हो या न हो। उक्त श्रेणी के निःशक्तता से ग्रस्त ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता के सामान्य मानकों द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु चुने जाने के लिए विचार किया जायेगा, परन्तु दिव्यांगजन को सरकारी सेवा में प्रवेश के समय दिव्यांगता की श्रेणी से भिन्न सामान्य स्वास्थ्य उपयुक्तता का प्रमाण पत्र नियमानुसार नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(18) प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 23 मई, 2021 (रविवार) को कराया जाना प्रस्तावित है।

उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, समीक्षा अधिकारी (लेखा)/सहायकसमीक्षा अधिकारी (लेखा)परीक्षा-2021 हेतु इच्छुक/पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक/पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट पर दिनांक **25 मार्च, 2021** तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उक्त पदों पर चयन हेतु प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)/मुख्य परीक्षा(परम्परागत प्रकार)/कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा/कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की अर्हकारी परीक्षाका आयोजन परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम के अनुसार किया जायेगा।

2. रिक्तियों की संख्या:-रिक्तियों की कुल संख्या 19 है। रिक्तियों की यह संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है। रिक्तियों का विभागवार विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	पदनाम	लम्बवत् आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण श्रेणी
				महिला
01	02	03	04	05
1	समीक्षा अधिकारी (लेखा), उत्तराखण्ड सचिवालय	अनारक्षित	05	01
		अनुसूचित जाति	02	—
		अनुसूचित जनजाति	—	—
		अन्य पिछड़ा वर्ग	01	—
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	—	—
		योग	08	01
2	सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा), उत्तराखण्ड सचिवालय	अनारक्षित	04	01
		अनुसूचित जाति	02	—
		अनुसूचित जनजाति	—	—
		अन्य पिछड़ा वर्ग	—	—
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	—	—
		योग	06	01
3	समीक्षा अधिकारी (लेखा), उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग	अनारक्षित	—	—
		अनुसूचित जाति	01	—
		अनुसूचित जनजाति	—	—
		अन्य पिछड़ा वर्ग	—	—
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	—	—
		योग	01	—
4	सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा), उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग	अनारक्षित	03	01
		अनुसूचित जाति	01	—
		अनुसूचित जनजाति	—	—
		अन्य पिछड़ा वर्ग	—	—
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	—	—
		योग	04	01
कुल योग-			19	03

3. पद का स्वरूप ::अराजपत्रित, अस्थायी जिसके निरन्तर चलते रहने की सम्भावना है, अंशदायी पेंशनयुक्त।

4. विज्ञापित पदों का विस्तृत विवरण

(1) समीक्षा अधिकारी (लेखा), उत्तराखण्ड सचिवालय:-

- i. वेतनमान** :: 9,300 से 34,800 ग्रेड पे- 4800 /-(पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स-रू047600-151100 लेवल-8)
- ii. शैक्षिक अर्हता** :: (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0काम एकाउन्टेन्सी के साथ स्नातक उपाधि।
(दो) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का ज्ञान।
(तीन) कम्प्यूटर संचालन- हिन्दी टाइपिंग में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति।
- iii. अधिमानी अर्हता** :: अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में चयन प्रक्रिया के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने-
- (i) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

(2) सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा), उत्तराखण्ड सचिवालय:-

- i. वेतनमान** :: 9,300 से 34,800 ग्रेड पे- 4600 /-(पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स-रू0 44900-142400 लेवल-7)
- ii. शैक्षिक अर्हता** :: (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0काम एकाउन्टेन्सी के साथ स्नातक उपाधि।
(दो) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का ज्ञान।
(तीन) कम्प्यूटर संचालन- हिन्दी टाइपिंग में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति।
- iii. अधिमानी अर्हता** :: अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में चयन प्रक्रिया के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने-
- (i) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

(3) समीक्षा अधिकारी (लेखा), उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग:-

- i. वेतनमान** :: वेतन मैट्रिक्स-रू0 47600-151100 लेवल-8
- ii. शैक्षिक अर्हता** :: (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से बी0कॉम या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी।
(दो) कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण किया जायेगा, जिसमें सम्मिलित होगा-(1) विन्डो एवं इंटरनेट (2) एम0एस0 वर्ड (3)एम0एस0 एक्सेस (4) एम0एस0 एक्सेल (5) एम0एस0 पावर प्वाइंट।
स्पष्टीकरण- कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की अर्हकारी प्रकृति की परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
(तीन) देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान।

- iii. अधिमानी अर्हता** :: अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने—
- (i) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" एवं "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

(4) सहायकसमीक्षा अधिकारी (लेखा), उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग:—

i. वेतनमान :: वेतन मैट्रिक्स—रू0 44900—142400 लेवल—7

- ii. शैक्षिक अर्हता** :: (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से बी0कॉम या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी।
- (दो) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में शुद्ध लेखन की न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होनी अनिवार्य है।
- (तीन) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण करने वाले को अधिमान दिया जायेगा, जिसमें अंग्रेजी टंकण में कम्प्यूटर पर शुद्ध लेखन की न्यूनतम 4500 की-डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होनी अनिवार्य है।
- (चार) कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण किया जायेगा, जिसमें सम्मिलित होगा—
- (1) विन्डो एवं इंटरनेट (2) एम0एस0 वर्ड (3) एम0एस0 एक्सेस (4) एम0एस0 एक्सेल (5) एम0एस0 पावर प्वाइंट।
- स्पष्टीकरण—** कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की अर्हकारी प्रकृति की परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (पांच) देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान।

- iii. अधिमानी अर्हता** :: अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने—
- (i) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" एवं "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

5. समीक्षा अधिकारी (लेखा)/सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा)—समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य/वांछनीय अर्हता निम्नवत् है—

(i) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 एवं यथा संशोधन नियमावली, 2019 में उल्लिखित प्राविधानों एवं विशेष अपील सं0 932/2018 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2018 को पारित निर्णय के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

परन्तु शासन के पत्रांक 1097/XXX(2)/2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है। "उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या—310/XXX(2)/2015 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार समूह 'ग' के पद

हेतु केवल राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति को ही सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है, जिसमें केन्द्र अथवा अन्य राज्य की सेवाएँ सम्मिलित नहीं हैं।

(ii) शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010-3(1)/2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।"

6. आयु:—आयु गणना की विनिश्चयक तिथि **01 जुलाई, 2021** है। उक्त तिथि को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम **21 वर्ष** तथा अधिकतम **42 वर्ष** होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2000 के पश्चात् तथा 02 जुलाई, 1979 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

7. अधिकतम आयु सीमा में छूट:—विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी।

उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश सं० 1399 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

उत्तराखण्ड केदिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश सं० 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह—'ग' के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश सं० 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

अधिसूचना संख्या: 6/1/72 कार्मिक-2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

शासनादेश सं० दिनांक 18 जनवरी, 2021 में यह उल्लिखित है कि शासनादेश सं० 124, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि the ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs.

यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

नोट:—यद्यपि लम्बवत आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति एवं क्षैतिज आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग एवं उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत

अनाथ अभ्यर्थियों हेतु पद आरक्षित नहीं हैं, तथापि अनारक्षित श्रेणी/संबंधित उपश्रेणी के सापेक्ष आवेदन करते समय अधिकतम आयुसीमा में उक्त लाभ लेने के लिए संबंधित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा।

8. आरक्षण :- उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा।ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी की सूचना प्रदान करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, निःशक्त (दिव्यांग), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन कर सकेंगे।

(ख) शासनादेश संख्या 196/XVII-2/2011-29(स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च 2011 के आधार पर दिव्यांगजनों के लिए पद चिन्हित किये गये हैं। अतः दिव्यांगजनों के आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम **40 प्रतिशत की विकलांगता** होना अनिवार्य है।

(ग) यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(घ) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के **"परिशिष्ट-3"** में उल्लिखित प्रारूप/उत्तरखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाईन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ मुख्य/लिखित परीक्षा से पूर्व अन्य सभी शैक्षणिक अभिलेखों के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख **"परिशिष्ट-3"** में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर मुख्य लिखित परीक्षा से पूर्व ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(ङ.) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 397/XXX(2)2019-30(2)/2019, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें।

9. राष्ट्रीयता : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा और युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार)से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

10. चरित्र :- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगा।

11. वैवाहिक प्रास्थिति :- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

12. शारीरिक स्वस्थता :-किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो, किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड-दो भाग-3 के अध्याय-3 में दिये गये फण्डामेन्टल रूल-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

13. आवेदन कैसे करें :- इच्छुक अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध निर्देशानुसार अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैं-

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	25 मार्च, 2021(11:59:59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क-Net Banking/Debit Card/ Credit Cardद्वारा जमा करने की अंतिम तिथि	25 मार्च, 2021(11:59:59 बजे तक)

14. ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया

- (1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या <https://ukpsc.net.in> पर जायें।
- (2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात् <https://ukpsc.net.in> पर जा कर **Menu Bar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात् **Apply Now** पर क्लिक करें।
- (3) **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् **Basic Information** फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Continue** पर क्लिक करें। **Continue** पर क्लिक करने के पश्चात् फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें।

यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर **Tick** कर **Edit Data** पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फॉर्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

- (4) **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile No.** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।
- (5) **Login** करने के पश्चात् **Educational Details** अथवा **Proceed To Next Step** बटन पर क्लिक कर फॉर्म पर, Essential Educational Qualifications के अन्तर्गत High School, Intermediate एवं Graduation का विवरण भरकर **Add Education Details** पर क्लिक करें। एक से अधिक Graduation, Post-Graduation के विवरण को भरने की स्थिति में **Clear** पर क्लिक कर Graduation/Post Graduation Details में Qualification Type में पुनः Graduation/Post Graduation का चयन कर विवरण भरकर **Add Education Details** पर क्लिक करें एवं प्रदर्शित अन्य जानकारी भरकर **Submit** बटन पर क्लिक करें।

उसके पश्चात् दी गयी Warning का सम्यक अध्ययन कर **Continue** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् **Upload Images** पर क्लिक कर **Photo** एवं **Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo** एवं **Signature** के अपलोड होने के पश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को **Tick** करने के बाद शुल्क जमा करने हेतु **Click here to Make Payment** पर क्लिक करें। **I Agree** पर **Tick** करने के पश्चात् **Pay Now** पर क्लिक कर आवेदन शुल्क जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करें। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् **Print Application Form** पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

- (6) परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (**Cancel**) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। रद्द किये गये आवेदन पत्र का जमा किया गया आवेदन

शुल्क वापस नहीं होगा। आवेदन रद्द (**Cancel**) करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Proceed to Cancel** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Back** बटन पर क्लिक करें। **Proceed to Cancel** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसको की **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द (**cancel**) करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

नोट :1 आवेदन शुल्क जमा किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी **Email-Id/Mobile Number** एवं **Password** के माध्यम से **Login** करने के पश्चात् **Update Personal Information** पर क्लिक कर, **Personal Information**, **Update Educational Information** पर क्लिक कर, **Educational Qualification** एवं **Reload Images** पर क्लिक कर, **Photo** एवं **Signature** को पुनः अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नं० को **Edit/Update** नहीं किया जा सकता। ऑनलाईन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpine@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

- 2 आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- 3 परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा किया जा सकता है। (उक्त परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित प्रत्येक पद हेतु 26.55 रुपये है।)
4. उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। किन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर डाटा भरने के बाद **Click here for Final Submission** बटन पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

15. शुल्क :-प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/ Credit Cardके माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

क्र०सं० (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन-शुल्क (Application Fees ₹)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax ₹)	कुल शुल्क (Total Fees ₹)
01.	अनारक्षित	200	26.55	226.55
02.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	200	26.55	226.55
03.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	80	26.55	106.55
04.	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	150	26.55	176.55
05.	शारीरिक दिव्यांग	कोई शुल्क नहीं	26.55	26.55
06.	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

नोट :-(1) उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा—सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

(2) उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-144/XXXI(1)/2020/विविध-38/2017, दिनांक 29 जनवरी, 2020 एवं आयोग कार्यालय के कार्यवृत्त दिनांक 02 मार्च, 2021 के बिन्दु संख्या-08 के क्रम में उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी (लेखा)/सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के पद PB, PD, OA, OL, BL, Cerebral Palsy, Cured Leprosy, Acid attack Survivor, Dwarfism, Muscular dystrophy, Multiple disability (PD-PB, Thalassaemia, Haemophilia) दिव्यांगता उप श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु ही चिन्हित हैं। शासनादेश संख्या : 232/XXX(2)/2018-30(05)/2014, दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी(लेखा)/सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के पदों हेतु PB,PD, OA, OL, BL, Cerebral Palsy, Cured Leprosy, Acid attack Survivor, Dwarfism, Muscular dystrophy, Multiple disability (PD-PB, Thalassaemia, Haemophilia) दिव्यांगता उप श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क में छूट अनुमत्य होगी किन्तु प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित रू0 26.55 देय होगा।

16.अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :-

आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी। अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), (तृतीय संशोधन-2015) व (चतुर्थ संशोधन-2016) आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(क) प्रारम्भिक परीक्षा हेतु निर्देश-

1. प्रारम्भिक परीक्षा एक क्वालीफाईंग परीक्षा है। प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी।
2. गलत उत्तरों के लिए दण्ड—वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा—

(क) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प उत्तर के रूप में रहेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

3. उत्तर कुँजी आपत्ति—वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुँजी का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी उत्तर कुँजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थी से प्रतिप्रश्न आपत्ति के सापेक्ष रू0 50.00 (रू0 पचास मात्र) शुल्क के

रूप में लिये जायेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रतिप्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो आयोग द्वारा उक्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। भुगतान के पश्चात शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापिस नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा और प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

4. **अँगूठे का निशान (Thumb Impression):**— सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर-पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।
5. प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है।

(ख) मुख्य परीक्षा हेतु निर्देश

1. प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आयोग के निर्देशानुसार मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। **आयोग के निर्देशानुसार मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा न करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।**
2. मुख्य परीक्षा हेतु सामान्य श्रेणी/उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क ₹0 200/—, उत्तराखण्डआर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क ₹0 150/— तथा उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क ₹0 80/—प्राप्त किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड के विहित श्रेणीके दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चोंसे मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क प्राप्त नहीं किया जायेगा।
3. प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित किये जाने की दशा में, प्रारम्भिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थी ही मुख्य/लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जायेंगे।
4. प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से केवल वही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जायेंगे, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट प्रति के साथ समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, स्थाई-निवास, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र, ऑनलाइन जमा की गयी परीक्षा शुल्क की रसीद आदि से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों/अभिलेखों की वैध छायाप्रतियाँ (परिशिष्ट-6 के अनुसार) आयोग में निर्धारित तिथि तक जमा किये हों तथा निर्धारित तिथि तक आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2019 के आलोक में अर्ह पाये गये हों।
5. प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष निर्धारित तिथि तक आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (**Scrutiny**) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2019 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं:—
 - (i) यदि अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र/उपाधि प्रस्तुत नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

- (ii) अधिमानी अर्हता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (iii) यदि आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य की सेवा में लागू न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी होने के कारण स्वीकार्य किये जाने योग्य न हो तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (iv) यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में क्षैतिज आरक्षण का दावा किया गया है किन्तु आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी होने के कारण स्वीकार्य किये जाने योग्य न हो तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (v) यदि अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उसे सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
6. अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।
7. परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या : 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014दिनांक 20 नवम्बर, 2019के अनुपालन में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित "दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश" (परिशिष्ट-4) के अनुसार श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी।
8. परम्परागत प्रकार की परीक्षा में नान-प्रोग्रामेबल किस्म के सरल बैटरी चालित पाकेट कैलकुलेटर का प्रयोग, प्रश्न पत्र के निर्देशों के अधीन, अनुमन्य है।
9. लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा—
- (i) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकों एवं शब्दों में अनुक्रमांक लिखेंगे। यदि अभ्यर्थी अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग करता है तो उसके आवरण पृष्ठों पर ऊपर दाहिनी ओर शीर्ष पर अनुक्रमांक लिखेंगे। प्रश्नोत्तर में, यदि नाम या पता लिखना जरूरी हो तो नाम के लिए XYZ अथवा 'अबस' एवं पता के स्थान पर ABC अथवा 'कखग' लिखेंगे। प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कोई असंगत, अप्रासंगिक तथा अवांछनीय बात लिखने पर आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यर्थी को दण्डित कर सकता है।
- (ii) प्रश्न-पत्र दिये गये निर्देशों के अनुसार ही हल करें। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न हल किये जाते हैं तो प्रारम्भ से लेकर निर्धारित संख्या तक कुल किये गये प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जायेगा और शेष की उपेक्षा की जायेगी। यदि किसी प्रश्नोत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे यह अवश्य लिखा जाए कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन न किया जाए।
- (iii) अभ्यर्थी प्रश्न-पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में या हिन्दी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, परन्तु भाषा के प्रश्न-पत्रों का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है। किसी एक ही प्रश्न-पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी और कुछ का हिन्दी में लिखना अथवा एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में

लिखना वर्जित है, अर्थात् प्रश्न पत्र का सम्पूर्ण रूप में, उपर्युक्त में से किसी एक भाषा में उत्तर देना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार प्राविधिक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया जा सकता है। मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर अंकों में कटौती की जा सकती है।

(iv) अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पृष्ठों को (यदि कोई हो) "क्रास" करेंगे तथा प्रयोग की गयी कुल उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या मुख्य उत्तर-पुस्तिका के प्रथम आवरण पृष्ठ पर लिखेंगे, जिन्हें कक्ष निरीक्षकों द्वारा चेक किया जायेगा।

(v) प्रश्न पुस्तिका के पन्ने के दोनों ओर लिखें। उत्तर-पुस्तिका से कोई पन्ना न फाड़ें। यदि किसी पृष्ठ पर रफ कार्य (Rough Work) किया जाए या कोई उत्तर भूल से लिखा जाए तो उसे आर-पार रेखाएं खींच कर काट दें, किन्तु पन्ना कदापि न फाड़ें।

(vi) उत्तर लिखने में अनुदेशों का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी—

- (1) पेन्सिल से लिखे गये उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
- (2) मिश्रित भाषा का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 5 प्रतिशत अंक की कटौती की जायेगी।
- (3) प्रश्न संख्या न लिखने अथवा गलत लिखने पर 01 अंक, प्रश्न का खण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/2 अंक तथा प्रश्न का उपखण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।
- (4) उत्तर पुस्तिका में असंगत/धार्मिक चिह्न/आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग करने पर 01 अंक की कटौती की जायेगी।
- (5) उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर एक या अनेक बार अनुक्रमांक अथवा नाम लिखने पर 02 अंकों की कटौती की जायेगी।
- (6) उत्तर पुस्तिका में नाम और अनुक्रमांक दोनों एक साथ एक बार या अनेक बार लिखने पर 03 अंकों की कटौती की जायेगी।
- (7) उत्तर पुस्तिका में अप्रसांगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमांक और नाम तीनों एक साथ लिखने पर 04 अंकों की कटौती की जायेगी।
- (8) उत्तर पुस्तिका में परीक्षक से अपील/अनुरोध करने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।
- (9) उत्तर पुस्तिका में असंगत/अप्रासांगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमांक एवं नाम और परीक्षक से अपील (अनुरोध/अनुनय/अभ्यर्थना) करने सहित चारों को एक साथ, एक या अनेक बार लिखने पर 05 अंक की कटौती की जायेगी।
- (10) प्रश्न के उत्तर के रूप में पत्र लेखन में नाम के स्थान पर XYZ या 'अबस' एवं पते के स्थान पर ABC या 'कखग' के अलावा काल्पनिक अथवा वास्तविक नाम एवं पता लिखने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।
- (11) उत्तर लिखने में नीली अथवा काली स्याही के अतिरिक्त अन्य रंग की स्याही का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 02 अंक की कटौती की जायेगी।

10. प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेख मुख्य परीक्षा से पूर्व आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा—

- (क) शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित समस्त अंकतालिका, समस्त प्रमाण-पत्र/उपाधि व अनापत्ति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) व अधिमानी अर्हता (यदि लागू हो) एवं दावित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा आयु के प्रमाण हेतु हायर सैकेन्ड्री/हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र तथा ऑलनाईन वरीयता प्रपत्र की प्रिंटआउट प्रति।
- (ख) आरक्षण की दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस. डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण-पत्र

प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के सेवाओं हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिये।

(ग) अभ्यर्थी द्वारा उर्ध्वार्धर/क्षैतिज आरक्षण एवं अधिकतम आयु/शुल्क में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो ऑनलाईन आवेदन किये जाने की अन्तिम तिथि के पूर्व जारी हुआ हो।

11. मुख्य परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों का आयोग द्वारा निर्धारित तिथि में सत्यापन किया जायेगा, सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
12. केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” प्रस्तुत करना होगा।
13. न्यूनतम अर्हक अंक:-अनारक्षित वर्ग, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग तथा उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को मुख्य/लिखित परीक्षा में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन), 2016 (चतुर्थ संशोधन) एवं मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
14. अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को मुख्य/ लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों में नहीं जोड़ा जाएगा।कम्प्यूटर टंकण/कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की अर्हकारी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही मुख्य/लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकोंकी मेरिट के आधार पर, प्रश्नगत पद पर चयन हेतु अभ्यर्थी द्वारा दी गयी पदवार ऑनलाईन वरीयता के क्रम में अन्तिम रूप से चयनित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।
15. प्रश्नगत विज्ञापन में दो विभागों के विभिन्न पद विज्ञापित किये गये हैं उक्त पदों पर चयन हेतु प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाईन वरीयता प्रपत्र में पदवार वरीयता का अंकन करना आवश्यक है। पदों का आवंटन प्रवीणता सूची, शैक्षिक अर्हता, आयु, सेवा नियमावली, श्रेणी-उपश्रेणीवार तथा अभ्यर्थी द्वारा दी गयी ऑनलाईन वरीयता के आधार पर किया जायेगा। प्रश्नगत चयन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन प्रपत्र में दी गयी वरीयता में से एक ही पद के सापेक्ष चयन किया जायेगा, अर्थात् किसी अभ्यर्थी के एक पद पर चयन होने के पश्चात अन्य पदों हेतु उस अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जायेगा।
16. आयोग द्वारा प्रश्नगत पदों का चयन परिणाम, विज्ञापित पदों हेतु विहित संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में पदों के सापेक्ष दी गयी वरीयता के आधार पर तैयार किया जायेगा। चयनित

अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

(ग) सामान्य निर्देश-

1. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।
2. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
3. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
4. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। अस्पष्ट, संदिग्ध तथा भ्रामक होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
5. मूल ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
6. अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाईन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर भी सूचना प्रसारित की जायेगी।
7. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।
8. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने

चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

9. हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा से पूर्व ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न किए जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
10. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।**
11. यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रारम्भिक अथवा मुख्य परीक्षा हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
12. यद्यपि प्रश्नगत विज्ञापन में लम्बवत आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं क्षेत्रीय आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग एवं उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थियों हेतु पद आरक्षित नहीं हैं, तथापि अनारक्षित श्रेणी/संबंधित श्रेणी के सापेक्ष आवेदन करते समय अधिकतम आयुसीमा/शुल्क में लाभ लेने के लिए संबंधित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा।
13. परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/ब्लूटूथ डिवाइस/संचार की क्षमता युक्त उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।
14. **परीक्षा भवन में आचरण :-** परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।
15. **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:-** कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करवायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

16. कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013** एवं प्रथम संशोधन-2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
17. **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही :-** अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेर बदल नहीं करें तथा न ही वे फेर बदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।
18. अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा:-1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक

- (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।
19. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।
 20. परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम, समय तथा केन्द्रों के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाने वाले प्रवेश-पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन के संबंध में कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 21. आयोग से किये जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थी अपने नाम के साथ पिता अथवा पति का नाम, आवेदित पदनाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक का (यदि सूचित हो गया हो) उल्लेख अवश्य करें।
 22. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।
 23. आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन को ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
 24. अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in का समय-समय पर अनुश्रवण **Monitoring** करना सुनिश्चित करें।

Sd/-
(कर्मन्द् सिंह)
सचिव।

परिशिष्ट-1

उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, समीक्षा अधिकारी (लेखा)/सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा)परीक्षा-2021 के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन निम्न नगरों में कराया जाना प्रस्तावित है। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र के सम्बन्धित कॉलम में प्रारम्भिक परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र के लिए नगर के सम्बन्ध में अपना विकल्प प्रस्तुत करें। नगरों की सूची इस प्रकार है-

जिला	नगर	नगर कोड
देहरादून	देहरादून	01
हरिद्वार	हरिद्वार	02
पौड़ी गढ़वाल	श्रीनगर	03
अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	04
नैनीताल	हल्द्वानी	05

- नोट-** 1. अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार प्रारम्भिक परीक्षा हेतु नगरों की संख्या घटाई-बढ़ाई जा सकती है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किये जा सकते हैं, जिसमें आयोग का निर्णय अंतिम होगा। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु मुख्य/लिखित परीक्षा का आयोजन परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जायेगा।

परिशिष्ट- 2

परीक्षा योजना:- प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार निम्नलिखित स्तर सम्मिलित हैं यथा-

- (1) प्रारम्भिक परीक्षा-केवल एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं सामान्य हिन्दी (वस्तुनिष्ठ प्रकार)।
- (2) मुख्य परीक्षा-लिखित परीक्षा (विषयपरक प्रकार)।

1. प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)-

विषय	अधिकतम अंक	समय (घण्टे)	प्रश्नों की संख्या
सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं सामान्य हिन्दी (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	150	02	150

उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी (लेखा) एवं सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा)पद हेतु सीधी भर्ती के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन,सामान्य बुद्धि परीक्षण
एवं सामान्य हिन्दी (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

समय : 2 घंटे

प्रश्नों की संख्या : 150

पूर्णांक : 150

खण्ड-1 सामान्य अध्ययन

प्रश्नों की संख्या : 90 पूर्णांक : 90

1. सामान्य विज्ञान, 2. भारत का इतिहास, 3. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, 4. भारतीय राज्य तंत्र, अर्थ व्यवस्था एवं संस्कृति, 5. भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, 6. जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण (भारतीय परिप्रेक्ष्य में), 7. विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, 8. अधुनातन राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, 9. उत्तराखण्ड की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन-सहन, भौगोलिक, राजनैतिक पृष्ठ भूमि एवं सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी, 10. उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक, आर्थिकव प्राकृतिक संसाधन तथा ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि।

खण्ड—2 सामान्य बुद्धि परीक्षण

प्रश्नों की संख्या : 30

पूर्णांक : 30

सामान्य बुद्धिमता : इसके अन्तर्गत प्रश्न सामान्य बुद्धिमता से संबंधित जैसे शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे और इसमें सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, समस्या, समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला आदि सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की योग्यता का सामान्य विचार और संकेत और उनके संबंध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्य आदि के प्रश्न भी शामिल होंगे।

खण्ड—3 सामान्य हिन्दी (सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण)

प्रश्नों की संख्या : 30

पूर्णांक : 30

(i) विलोम (पाँच शब्द), (ii) वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि (पाँच वाक्य), (iii) अनेक शब्दों के एक शब्द (पाँच शब्द), (iv) तत्सम एवं तदभव शब्द (पाँच शब्द), (v) विशेष्य एवं विशेषण (पाँच शब्द), (vi) पर्यायवाची शब्द (पाँच शब्द)

नोट:—प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मैरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जायेंगे।

2. मुख्य परीक्षा – लिखित परीक्षा (विषयपरक)

प्रश्न पत्र	विषय	अधिकतम अंक	समय (घण्टे)	प्रश्नों की संख्या
प्रथम प्रश्न-पत्र	सामान्य अध्ययन (परम्परागत प्रकार)	100	03	10
द्वितीय प्रश्न-पत्र	सामान्य हिन्दी तथा निबन्ध (परम्परागत प्रकार)	100	03	07
तृतीय प्रश्न-पत्र	वाणिज्य (परम्परागत प्रकार)	100	03	
चतुर्थ प्रश्न-पत्र	कम्प्यूटर का आधारभूत परीक्षण। Computer Operation- Practical Examination (Qualifying Nature)	100 (Minimum Qualifying Marks-40)	01	05

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

प्रथम प्रश्न-पत्र

सामान्य अध्ययन(परम्परागत प्रकार)

समय : तीन घंटे

पूर्णांक : 100

टिप्पणी:—इस प्रश्न-पत्र में 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कम से कम 03 प्रश्नों की प्रकृति विस्तृत प्रकार की होगी, जिसकी शब्द सीमा 250 होगी एवं 05 प्रश्न लघु टिप्पणी प्रकृति के होंगे, जिसकी शब्द सीमा 50 तथा शेष 02 प्रश्न व्याख्यात्मक टिप्पणी से सम्बन्धित होंगे, जिसकी शब्द सीमा 125 होगी।

1. सामान्य विज्ञान, 2. भारत का इतिहास, 3. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, 4. भारतीय राज्य तंत्र, अर्थ व्यवस्था एवं संस्कृति, 5. भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, 6. जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण (भारतीय परिप्रेक्ष्य में), 7. विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, 8. अधुनातन राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, 9. उत्तराखण्ड की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन-सहन, भौगोलिक, राजनैतिक पृष्ठ भूमि एवं सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी, 10. उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक, आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन तथा ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, 11. पर्यावरण एवं कम्प्यूटर, 12. भारतीय संविधान का आधारभूत ज्ञान, 13. सांख्यिकी विश्लेषण, आलेख एवं रेखा-चित्र।

द्वितीय प्रश्न-पत्र-सामान्य हिन्दी तथा निबन्ध (परम्परागत प्रकार)

समय : तीन घंटे

पूर्णांक : 100

खण्ड-1 सामान्य हिन्दी

प्रश्न: 07

पूर्णांक: 50

1. दिये हुये गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं तीन रेखांकित अंशों की व्याख्या 10 अंक
2. किसी दिये गये पत्र का सारणीय रूप (Tabular form) में सार लेखन 5 अंक
3. पत्राचार 10 अंक
 - (1) शासकीय/अर्द्धशासकीय पत्र
 - (2) कार्यालय आदेश/ज्ञाप/परिपत्र/विज्ञप्ति/टिप्पण/प्रतिवेदन एवं अनुस्मारक
4. पारिभाषिक शब्दावली 10 अंक
 - (1) अंग्रेजी से हिन्दी (पाँच शब्द)
 - (2) हिन्दी से अंग्रेजी (पाँच शब्द)
5. वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि (पाँच) 05 अंक
6. अनेक शब्दों के एक शब्द (पाँच शब्द) 05 अंक
7. पर्यायवाची शब्द (पाँच शब्दों के दो-दोपर्यायवाची) 05 अंक

खण्ड-2 निबन्ध

पूर्णांक : 50

इस प्रश्न-पत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित शीर्षकों में से किसी 05 शीर्षक से सम्बन्धित निबन्ध दिये जायेंगे। अभ्यर्थियों को इनमें से किसी एक शीर्षक पर अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा में लगभग 600 शब्दों का एक सारगर्भित निबन्ध लिखने होंगे।

1. साहित्य और संस्कृति
 2. सामाजिक क्षेत्र
 3. राजनीतिक क्षेत्र
 4. विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी
 5. आर्थिक क्षेत्र
 6. कृषि, व्यापार एवं पर्यटन
 7. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम
 8. प्राकृतिक आपदायें— भूस्खलन, चक्रवात, भूकम्प, बाढ़, सूखा इत्यादि।
 9. राष्ट्रीय विकास योजनायें
- नोट—अभ्यर्थियों को सामान्य हिन्दी तथा निबन्ध प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

तृतीय प्रश्न-पत्र-वाणिज्य (परम्परागत प्रकार)

समय : तीन घंटे

पूर्णांक : 100

COMMERCE

PART-I ACCOUNTING

(50 Marks)

Accounting: Nature, Scope and Objectives, uses of Accounting: as an Information System, as an aid to Management and other users of accounting information.

Principles of Accounting; Accounting concepts, conventions and Equations. Capital and Revenue Receipts and expenditures. Depreciation Accounting. International and Indian Accounting Standards.

Preparation of Final Accounts of Sole Proprietorships.

Partnership Accounting: Problems relating to Admission, Retirement and Death of a Partner. Dissolution of a firm including piecemeal distribution among partners.

Company Accounting: Issue of shares and Debentures; Redemption and conversion of Debentures; Treatment of Profits prior to Incorporation; Capitalisation of Profits and Issue of Bonus Shares, Statutory provisions regarding preparation of Final Accounts of Companies.

Accounting of Non-Trading Organisation- Receipt & Payment Account, Income and Expenditure Account. Preparation of accounts from incomplete records. Valuation of Goodwill and shares.

Auditing:

Auditing: Nature, Basic principles and objectives.

Techniques of Auditing: Examination of documents and vouchers, Physical verification, Direct confirmation, Test checking and sampling.

Planning an Audit: Audit Programme, working papers and Audit Process-Internal Control, Internal Check and Internal Audit and their effects on Audit Programme.

Audit of different business organizations: Audit of sole proprietary and Partnership Firms and Joint Stock Companies.

PART-II

(50 Marks)

BUSINESS ORGANISATION, MANAGEMENT AND SECRETARIAL PRACTICES

Different forms of Business Organisations: Their main features. Sole Proprietorship and Joint Hindu Family Business.

Partnerships – Characteristics, Registration, Partnership Deed; Rights, duties and liabilities of partners; Admission, Retirement and Death of a Partner; Dissolution of a Partnership Firm.

Joint Stock Company: Characteristics and Types: Formation and Incorporation of Companies; Types of Securities and methods of their issue. Doctrines of Indoor Management, Constructive notice and Ultra vires.

Cooperative, Public Enterprises- their forms of organisation.

Business combination: Types and importance. Monopolies and Restrictive Trade Practices. Modernisation and Restrictive Trade Practices. Modernisation and Rationalisation of Business and industrial organisation.

Social Restrictive of Business in a liberalised economy.

Foreign Trade: The theory of comparative cost, Import and Export Trade, Procedure and Financing of Import and Export Trade. Export-Promotion: Techniques and Incentives, EXIM Bank.

Insurance: Principles and practices of Life, Fire, Marine and General Insurance. Insurance business in global scenario, Privatisation of insurance business in India.

Management:

Management: Concept, scope and functions.

Planning- Objectives and strategies.

Organising – Organisational structure, Formal and Informal Organisation Levels of Authority Line and Staff organizations, Centralisation, Decentralisation and Delegation of Authority.

Staffing- Selection, Placement and Training, Wage and Salary Administration, Job specification and job Evaluation.

Directing: Principles and strategies.

Leadership, Communication and Motivation.

Coordination: Concept and Methods.

Control: Principles and Practices, Setting Performance standards & evaluation, corrective actions. Span of Control.

Management by objectives, Management by exception, Management of change and crisis management.

Office Management:

Principles and scope, system and routines, handling and maintenance of Office Records Modern aids to Office Management- Office equipments and machines, Automation and computersation. Rationalisation of office services.

Marketing Management- Concept, segmentation, Promotion decisions.

Company Secretary:

Qualifications, appointment, role and functions; Rights, Duties and Liabilities of a company secretary; Drafting of Agenda and Minutes;

चतुर्थ प्रश्न पत्र

(उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के समीक्षा/सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) पद हेतु कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षण)

Computer Operation - Practical Examination (Qualifying Nature)

Time-1Hours

Max. Marks- 100

Minimum Qualifying Marks- 40

Microsoft Windows Operating system and Microsoft Office; The paper shall be set from the given syllabus broadly taking one question from each i.e. - (1) Windows and internet. (2) M.S. - word. (3) M.S. - Access. (4) M.S. - Excel and (5) M.S. - Power Point.

Note -1 Each question shall have one action to be performed on the system each having 20 marks.

Note -2 Printout of the output shall be taken and given for evaluation

स्पष्टीकरण-कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की अर्हकारी प्रकृति की परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) पद हेतु हिन्दी/अंग्रेजी टंकण परीक्षा

1. कम्प्यूटर परहिन्दी टंकण में शुद्ध लेखन की न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति परीक्षा ली जायेगी।
2. कम्प्यूटर परअंग्रेजी टंकण में शुद्ध लेखन की न्यूनतम 4500 की-डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति परीक्षा ली जायेगी।

उत्तराखण्ड सचिवालय में समीक्षा/सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) पद हेतु हिन्दी टंकण परीक्षा

कम्प्यूटर परहिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति की परीक्षा ली जायेगी।

नोट: उत्तराखण्ड सचिवालय एवं लोक सेवा आयोग के सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) पद हेतु हिन्दी/अंग्रेजी टंकण की समयावधि 10 मिनट होगी, जिसमें क्रमशः 667 की डिप्रेशन (4000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा की समतुल्यता) तथा 750 की डिप्रेशन (4500 की डिप्रेशन प्रतिघंटा की समतुल्यता) की कम्प्यूटर पर टंकण गति परीक्षा का आकलन किया जाएगा। टंकण परीक्षा अर्हकारी प्रकृति का होगा।

परिशिष्ट-3

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील

.... नगर जिला उत्तराखण्ड कीजाति के व्यक्ति हैं, जिसे

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0)

आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता

दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारीतथा अथवा उनका परिवार

उत्तराखण्ड के ग्रामतहसीलनगरजिला

में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

मुहर :

पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-3

उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील
.....नगर जिला उत्तराखण्ड के राज्य की

पिछड़े जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम
..... तहसील नगर जिलामें सामान्यतया रहता
है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-3

उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्रामतहसील

..... नगर जिलाउत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से

विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड

राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित)

..... पुत्र/पुत्री/पौत्र/ अविवाहित पौत्री उपयुक्त अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त

श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम.....

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – तारीख

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री आयु लिंग पहचान चिन्ह निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉल्लिज)

(i) दोनों टांगें (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बाहें (बी ए) – दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगें और बाहें (बी एल ए) – दोनों टांगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी – बधिर

(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती।वर्षों महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। '

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:—
- | | |
|--|----------|
| (i) एफ-अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ii) पी पी-धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iii) एल-उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iv) के सी-घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (v) बी-झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vi) एस-बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vii) एस टी-खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (viii) डब्लू-चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ix) एस ई-देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (x) एच-सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (xi) आर डब्लू-पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |

डा०.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

(डा०.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

(डा०.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ अस्पताल के
मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

' जो लागू न हो काट दें।

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मुहल्ला.....
पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड.....
उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है।
इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका
परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :-

- (I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- (II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- (III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- (IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं
और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा
वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर
नाम.....
पदनाम.....

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो
--

Handwritten signature

परिशिष्ट-4

शासनादेश संख्या: 374(1)/xxx(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत :-

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA)(चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात)से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत परिशिष्ट-4(I) प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-4(I) की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट-4(II) की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-4(I) की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट-4(II) की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-4(I) प्रमाणपत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा(प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं हेतु विकलांगता धारित अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम के निरीक्षण की सुविधा दी जाएगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कम्प्यूटर परीक्षा हेतु स्वयं का केवल की-बोर्ड तथा माउस लाने की अनुमति दी जाएगी।
7. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
8. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (trailer frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।
9. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू-तल के निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs ----- (name of the candidate with disability), a person with ----- (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o -----, a resident of ----- (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent
of a Government Health care institution

Name & Designation

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

Note:

Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I -----, a candidate with -----(name of the disability) appearing for the -----(name of the examination) bearing Roll No. ----
----- at ----- (name of the centre) in the District -----
(name of the State). My qualification is -----.

I do hereby state that -----(name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is ----- . In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट-5

उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी (लेखा)/सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) परीक्षा-2021 हेतु मुख्य/लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक (Qualifying Marks)

अनारक्षित वर्ग, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग तथा उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति के पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा के विषयवार लिखित परीक्षा हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन), 2016 (चतुर्थ संशोधन) एवं मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 26 जून, 2019 के द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है :-

क्र. सं.	आरक्षण की श्रेणी	मुख्य/लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1	अनारक्षित एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	45%
2	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	40%
3	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35%

नोट- सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा।

परिशिष्ट-6

मुख्य परीक्षा से पूर्व आयोग द्वारा मांगे जाने पर निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है :-

- 1- हाईस्कूल प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका ।
- 2- इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका ।
- 3- स्नातक उपाधि एवं अंक-तालिका (समस्त वर्षों/सेमेस्टर की)
- 4- स्नातकोत्तर उपाधि एवं अंक-तालिका (समस्त वर्षों/सेमेस्टर की)
- 5- अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष) ।
- 6- आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण-पत्र (ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष) ।
- 7- विज्ञापन के बिन्दु सं०-5 में उल्लिखित "समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अर्हता" के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष अभिलेख/प्रमाण पत्र ।
- 8- केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा अनापत्ति प्राप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी को उचित माध्यम द्वारा प्रेषित प्रार्थनापत्र (Application) की संबंधित कार्यालय में प्राप्ति (Receipt) की सत्यप्रतिलिपि ।
- 9- यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में ।
- 10- ऑनलाइन वरीयता प्रपत्र की प्रिंटआउट प्रति ।